विज्ञप्ति/सूचना

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 68–5099/23/2024––5( )– बेसिक शिक्षा, अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 28.05.2024 तथा राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–के0जी0बी0वी0/1977/2024–25 दिनांक 05.06.2024 के कम में जनपद–झांसी में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदो को भरे जाने हेतु दिनांक 07.12.2024 से 21.12.2024 की सायं 05:00 बजे तक इच्छुक अर्ह महिला अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन **कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन कैम्पस, कचहरी चौराहा झांसी** के पते पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट आवेदन पत्र द्वारा आंमत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कम	पद	विषय	कुल पद	आरक्षण की श्रेणी			निर्धारित मानदेय	शासनादेश में निर्धारित योग्यता	वरीयमान अर्हता
				अनारक्षित	अनु0जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1	प्रधानाचार्य		3	1	1	1	30000	(1) प्रशिक्षित एम0ए0 (हिन्दी/अंग्रेजी) अथवा एम0एससी0 (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/गणित/कम्प्यूटर साइंस) किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की, जिसकी परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की न हो। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ–साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नाकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नाकोत्तर उपाधि या (3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नाकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यकम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण करने के पश्चात् कमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हों।	
2	पी0जी0टी	हिन्दी	3	1	1	1	22000	हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी	प्रशिक्षित

3		अंग्रेजी	3	1	1	1	22000	नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नाकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0टी0 डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजूकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।	
4		गणित	3	1	1	1	22000	1– एम0ए0 अथवा एम0एस0सी0 गणित अथवा 2– गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0ए0 (आनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आनर्स)	प्रशि
5		जीव विज्ञान	3	1	1	1	22000	1– वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा 2– कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0एस0सी0, बी0एस0सी0 में जन्तु विज्ञान अथवा 3– कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0एस0सी0, बी0एस0सी0 में वनस्पति विज्ञान अथवा 4– यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कॉलेज से एम0एस0सी0 (लाइफ साइन्स) अथवा 5– किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नाकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	प्रशिक्षित
6		रसायन विज्ञान	3	1	1	1	22000	1– रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा 2– रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0एस0सी0 (आनर्स) अथवा 3– यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/डिग्री कॉलेज से स्नाकोत्तर (बायोकेमिस्ट्री) अथवा 4– किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नाकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	प्रशिक्षित
7		भौतिक विज्ञान	3	1	1	1	22000	1– एस0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान) अथवा 2– किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नाकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0	प्रशिक्षित

8		कम्प्यूटर विज्ञान	3	1	1	1	22000	1– एमटेक (कम्प्यूटर विज्ञान) अथवा 2– बी0ई / बी0टेक (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अथवा 3– एस0सीए0 अथवा एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा बी लेबिल आफ डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड एक्रीडियेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स) अथवा 4– स्नाकोत्तर डिग्री के साथ पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा 5– स्नाकोत्तर डिग्री के साथ बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर कोर्स कम्पोनेन्ट कनसेसटिंग ऑफ एट लिस्ट 1/3 ऑफ साइस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से) अथवा स्नाकोत्तर डिग्री के साथ ए–लेबिल ऑफ डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डिपार्टमेंन्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड एक्रीडियेशन आफॅ कम्प्यूटर कोर्स)	प्रशिक्षित
9	लैब अस्सिटेंट		9	4	2	3	7147*	हाईस्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ	
10	कार्यालय अधिक्षक / लिपिक		3	1	1	1	12430	1– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा ओयाजित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। 2– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के साथ–साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था / शिक्षा बोर्ड / परिषद द्वारा संचालित होईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। अथवा कम्प्यूटर संचालन डोएक / NIELIT द्वारा प्रदत्त CCC प्रामण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र। अथवा कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा / डिग्री 3– कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट	
11	चपरासी		6	3	2	1	7147	कक्षा 8 उत्तीर्ण पद पूर्ण कालिक होगा। विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा।	
12	चौकीदार		6	3	2	1	7147		
13	रसोईया		6	3	2	1	6433	अभ्यार्थी शारीरिक अक्षमात एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।	

नोट– प्रधानाचार्या जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा सम्बंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जायेगा।

* लैब असिस्टेंट की वेतन में स्पष्टता न होने के कारण वेतन में वृद्धि या कमी हो सकती है।

आयु–

1– प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी और कक्षा 09 से 12 तक में कम से कम 04 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

2– शेष पदों पर चयन वर्ष की 01 अप्रैल को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

3– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

आरक्षण– राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
चरित्र– किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।
चयन प्रकिया–

अभ्यार्थी के चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा–

कसं	**परीक्षा/उपाधि का नाम**	**गुणवत्ता अंक**
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20/100
4	परास्तानक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X20/100
5	प्रशिक्षण	सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X30/100

नोट–

1– यदि दो या अधिक अभ्यार्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यार्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
2– यदि दो या अधिक अभ्यार्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यार्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला कम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।
3– रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

सत्यापन–

शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/संस्था से कराया जायेगा। कार्मिकों के मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में सुरक्षित/संरक्षित कराया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

नोट–

- आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यार्थी ही पात्र होगी।
- विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य होगी।
- आरक्षण नियम अनुसार देय होगा।
- प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा।
- किसी भी प्रकार के बदलाव एवं सुधार हेतु पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय चयन समिती के पास सुरक्षित होगा।
- लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय लिखा हो। लिफाफे के अन्दर दो पता लिखे तथा रु 42/–के डाक टिकिट लगाके सादा लिफाफा अवश्य रखें।
- अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

- आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी को दिनांक 21.12.2024 के सायं 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें।
- आवेदन के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं आरक्षित वर्ग लिखना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी रिक्त पदों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है। विषयवार एवं आरक्षणवार सीटों का अन्तिम निर्धारण जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- रसोईया/चौकीदार/चपरासी को विद्यालय परिसर में ही स्वयं की व्यवस्थापर निवास करना अनिवार्य होगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में रखने की अनुमति नहीं होगी। विद्यालय में निवास न करने पर संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
- मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चौकीदार/चपरासी हेतु शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग एवं गम्भीर बीमारी से युक्त अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होगे। जांचोपरांत मुख्य चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता/निवास/जाति प्रमाण पत्र/ आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
- शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयनित अभ्यर्थी का संवा अनुबंध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा। कार्य व व्यवहार अच्छा होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनपरांत अगले सत्र के लिए नवीनीकरण किया जायेगा।
- आवेदन पत्र ए–4 साईज पेपर में होना चाहिए।
- चयनोपरांत नियुक्ति किसी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की जा सकती है।
- पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिका पद के अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा की तीनों वर्षो का अंकपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित रहेगा, जिस हेतु कोई भी वाद मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति लिपकीय त्रुटि के अधीन होगी।
- अंतिम तिथि के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरे आवेदन,बिना फोटो एवं अपठनीय हस्ताक्षर होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(विपुल शिव सागर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झांसी।

पत्रांक–के0जी0बी0वी0/नवीन चयन/ /2024–25 दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्यवाही हेतु–

1– जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, झांसी।
3– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झांसी।
4– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद झांसी को इस आख्या से प्रेषित उक्त विज्ञन्ति अपने कार्यालय से चस्पा करें।
5– सम्पादक, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला, झांसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने दैनिक सामचार पत्र में न्यूनतम दर एवं न्यूनतम साईज में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा देयक दो–दो प्रतियों में भुगतान हेतु अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(विपुल शिव सागर)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झांसी।